

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/00442

दिनांक 01.05.2018

सेवा में,

श्री के. ए. नकवी,

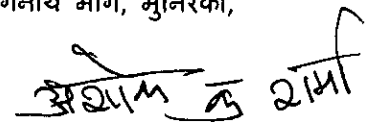
विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानमंत्री कार्यालय को संबोधित आपके दिनांक 04.04.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया जो दिनांक 26.04.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 126521) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 27.04.2018 को प्राप्त हुआ से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नांकित है:-

बिंदु सं. 1, 2, 3 एवं 5	वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है ।
बिंदु सं. 4	सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी लोक प्राधिकरणों में जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का प्रावधान है तथा केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के के अधीन कार्यरत लोक प्राधिकरणों के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत लोक प्राधिकरणों के संदर्भ में संबंधित राज्य सूचना आयोग द्वितीय अपीलीय अधिकरण है । जिलाधिकारी कार्यालय राज्य सरकार के अधीन कार्यरत होते हैं, अतः संबंधित राज्य सूचना आयोग में संपर्क करें ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।



(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690